"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 फरवरी 2011—माघ 19, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2011/291.—59-संजारी बालोद विधान सभा उप चुनाव-2011 के मतगणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2010 दिनांक 08 फरवरी, 2011 का राज्य के असाधारण राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2011—19 माघ, 1932 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित तारीख 8 जुलाई, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2 में मद संख्या 59-संजारी बालोद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
59-संजारी बालोद	3. डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी (नाजरात) दुर्ग

उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 8th February, 2011—19 Magha, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2008 (1).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2008 (1), dated 8th July, 2008.

In column 2 of the Table appended to the said notification against item number 59-Sanjari Balod, the following entry will be added.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
59-Sanjari Balod	3. Dy. Collector & Incharge Officer (Nazrat), Durg.

The appointment of above Officer as Assistant Returning Officer in said Assembly Constituency shall cease to be effective on successful completion of counting of votes in the Constituency concerned.

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.